

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजेंद्र सिंह बनाम कल्याण सिंह
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 184/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रातेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>राजेंद्र सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>नारामण सिंह</u></p> <p>निवासी- <u>होसला ट. 5</u> तहसील- <u>ब</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>होसला</u> <u>क. 1. कम्पणपुर</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>11, 4 (खाता क्र. 17)</u> <u>41, 42, 43 (खाता क्र. 10)</u></p> <p>कुल कीता <u>2+3=5</u> कुल रकबा <u>10.57</u> हे० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>होसला (कम्पणपुर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>11, 4 व 41, 42, 43</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>10.57</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>5 हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्गित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(जीन देवल) सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>